UPLK010069232026

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-809/2026

मो० शारिक **बनाम** उ०प्र० राज्य

<u>दिनांक-17.06.2026</u>

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. यह स्थानान्तरण आवेदन, **न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-7, लखनऊ** में लम्बित **सत्र परीक्षण सं०-2280/2023 उ०प्र० राज्य बनाम मो० शारिक, मु०अ०सं०-263/2022, अन्तर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं०, थाना-विभूतिखण्ड, लखनऊ** को उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. स्थानान्तरण आवेदन में यह कथन किया गया है कि उक्त वाद में वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 10.07.2025 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 216 दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, जिसके विरुद्ध अभियुक्त द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज् किये जाते समय अभियुक्त की उम्र लगभग 17 वर्ष तथा पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष थी तथा दोनों नाबालिग थे, जिस कारण मामले को सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. उक्त प्रार्थनापत्र पर **न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-7, लखनऊ** द्वारा आख्या दिनांकित 03.06.2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि सन्दर्भित प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर अभियोगी की ओर से दिनांक 10.07.2025 को प्रार्थनापत्र बी-7 अन्तर्गत धारा 216 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्रकरण में धारा 376, 506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का अतिरिक्त आरोप विरचित किये जाने हेतु दिया गया, जिस पर अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी-8 दाखिल है। उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 01.07.2026 को नियत है। अंततः यह कहा गया कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा यह स्थानान्तरण आवेदन मुख्यतः घटना के समय अभियुक्त व पीड़िता के अवयस्क होना अभिकथित करते हुये सन्दर्भित वाद को समक्ष न्यायालय(पॉक्सो न्यायालय) में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह प्रश्न कि अभियुक्त घटना की तिथि पर किशोर था अथवा नहीं तथा प्रकरण किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, एक विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्धारण सर्वप्रथम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि-अनुसार किया जाना है। सम्बंधित न्यायालय की आख्या के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मामले में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 216 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रकरण में धारा 376, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत अतिरिक्त आरोप विरचित किये

जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लम्बित है। अतः जब उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण ही नहीं हुआ है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रकरण पॉक्सो ऐक्ट से सम्बंधित है अथवा नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त की ओर से सम्बंधित न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा विधि-अनुसार प्रस्तुत किया गया हो अथवा आयु-निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है, ऐसा कोई अभिकथन नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह स्थानान्तरण आवेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत स्थानान्तरण आवेदन निरस्त किया जाता है।

सर्वसम्बंधित सूचित हों।

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.06.19 11:22:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court